



BHULEKH
Uttar Pradesh



Hindi



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : केवाड़ी परगना : (देवा) तहसील : नवाबगंज जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 खाता संख्या : 00065

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
--	-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

किशारी लाल यादव / महावीर प्रसाद / नि.ग्राम बीकर

255/1

0.7270

1430फ0(सन् 2022ई0) आदेशानुसार श्रीमान तह0महो0नवाबगंज वाद सं0 5336/T2022041213389/08.09.22 द्वारा गाटा संख्या 255 /1/0.7270 हे0 में से रकबा 0.474 बिक्रेता किशोरी लाल यादव पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम निरस्त करके उनके स्थान पर क्रेता ओमेगा बिल्डर्स खसरा नम्बर 12 ओमेगा सन सिटी ग्राम सफेदाबाद केवाड़ी रोड बाराबंकी द्वारा अधिकृत पार्टनर आशीष गुप्ता पुत्र एच0पी0 गुप्ता निवासी 4/169 विशालखण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं0 14696 दिनांक 07-07-2022 (प्रतिफल 80,00,000 ₹0) बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह0र0का0 13.10.22

1430फ0 (सन् 2022ई0) आदेशानुसार श्रीमान ना0तह0महो0 नवाबगंज वाद सं0 T202204120117047 /1967/30.8.22 द्वारा गाटा संख्या 255/1/0.7270 हे0 में से रकबा 0.2530हे0 मा0सा0 परता खाता से बिक्रेता किशोरी लाल यादव पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी ग्राम केवाड़ी परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर ओमेगा बिल्डर्स खसरा नं0 12 ओमेगा सन सिटी सफेदाबाद केवाड़ी रोड केवाड़ी बाराबंकी उ0प्र0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी पार्टनर आशीष गुप्ता पुत्र एच0पी0 गुप्ता नि0 4/169, विशालखण्ड गोमती नगर शहर लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा सं0 13693 दिनांक 27.6.22 के आधार पर सं0भू0 दर्ज हो। ह0र0का0 18.10.22

1430फ0(सन् 2022ई0) आदेशानुसार श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नवाबगंज वाद सं0 488/T202204120126879/03.12.22 द्वारा खाता संख्या 00065 पर ओमेगा बिल्डर्स खसरा नं0 12 ओमेगा सन सिटी सफेदाबाद केवाड़ी रोड केवाड़ी बाराबंकी उ0प्र0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी

			पार्टनर आशीष गुप्ता पुत्र एच0पी0गुप्ता के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 255/1 रकबा 0.727हे0 भू0 राजस्व रू0 37.45 को धारा-80(2) उ0प्र0रा0सं0 -2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश- 2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ह0र0का0 16-12-22	
योग	1	0.7270		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.


